

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट सांगानेर जयपुर
 बनाम आनपुली १३०

की ३०

मल्लुलाल

६३/२०२३ (अ/क)

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

१०/११/२३

पञ्जावली फेस हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
 वक्त उद्घालन वादी व उनके अधिवक्ता के वादवाट
 भाषाज लानाई गई। वादी व उनके अधिवक्ता की
 उभोट ले ओई की उपस्थित नहीं होने के वादी का
 वाड अइम एजरी अइम फेसवी में (वालि किम
 जात ही पञ्जावली फेसल शुमार केर, दर्ज नमब
 के इम हो, वाड तकमिल शिपल इफत हो।

उपखण्ड अधिकारी
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

१३१ उअण
 मक रकिअफ
 न्यायवि से
 ए पञ्जावली

अधिकारी
 व (सांगानेर)

